बिहार लोक सेवा आयोग,
15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना

आवश्यक सूचना

स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अधीन राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित वि॰सं॰ 14/2017 (एफ॰एम॰टी॰), वि॰सं॰ 16/2017 (टी॰बी॰ एण्ड चेस्ट), वि॰सं॰ 17/2017 (चर्म रोग एवं रति रोग) एवं वि॰सं॰ 23/2017 (रेडियोलॉजी) के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि अर्हित एवं अनर्हित उम्मीदवारों की सूची आयोग के बेवसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित कर दी गई है। सूची में अनर्हित उम्मीदवारों को यदि कोई आपत्ति हो तो अपनी उम्मीदवारी के सम्बन्ध में प्रमाण के साथ अभ्यावेदन सिर्फ निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट या आयोग के e-mail आई॰डी॰– bpscpat-bih@nic.in के माध्यम से दिनांक 18.08.2017 तक दे सकते हैं। अभ्यावेदन की समीक्षा के उपरांत अर्हित पाये जाने पर उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित किया जायेगा। उम्मीदवार सूची में अपना नाम एवं जन्म तिथि के आधार पर अनुक्रमांक ज्ञात कर अर्हता/अनर्हता की स्थिति से अवगत हो सकते हैं।

2. वैसे आवेदक जिन्होंने वि॰सं॰ 14/2017, 16/2017, 17/2017 एवं 23/2017 के विरूद्ध आवेदन समर्पित किया है, परन्तु अर्हता एवं अनर्हता की सूची में उनका नाम नहीं है लेकिन इन्हें लगता है कि विज्ञापन की शर्त्तों के अनुरूप योग्यता धारित करते हैं, तो वे भी अपना अभ्यावेदन साक्ष्य के साथ सिर्फ निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट या आयोग के e-mail आई॰डी॰– bpscpat-bih@nic.in पर दिनांक 18.08.2017 तक (निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट पर्ची, शुल्क जमा करने के चालान आदि के साथ) दे सकते हैं। निर्धारित तिथि तक अभ्यावेदन समर्पित नहीं करने वाले अभ्यर्थियों का कोई दावा बाद में मान्य नहीं होगा।

3. अर्हित उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिनांक 28.08.2017 एवं 29.08.2017 को आयोजित किया जायेगा जिसका विस्तृत कार्यक्रम आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

4. सभी अर्हित उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र **साक्षात्कार प्रारम्भ होने की तिथि के एक सप्ताह पूर्व** से आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे जिसे उम्मीदवार द्वारा अपना अनुक्रमांक डालकर डाउनलोड किया जा सकता है। **साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे।**

5. साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद किसी भी प्रक्रम (Stage) पर उनकी अर्हता के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

31/7/2017

विशेष सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना